आराजी का मौका निरीक्षण स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान यह स्थिति सामने आई है कि भू0अ0नि0 कानोता की उक्त रिपोर्ट में जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, वहां रहवास हेतु पुख्ता निर्माण हो रखा है। अतः खसरा नम्बर 68/3 पर वर्तमान में मौके पर जहां रास्ता प्रस्तावित है, उस भूमि पर रहवास हेतु पुख्ता निर्माण होने कारण तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 28.12.2022 की मौका जॉच रिपोर्ट मय जरी नक्शा के अनुसार प्रार्थना पत्र में आवेदित मार्ग से नियमानुसार रास्ता रिकार्डेड किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क साबित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05 / 12 / 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.)